निवेशकों की जैसी जरूरत वैसी मदद करेगी सरकार

सीएम ने मुंबई में वर्ल्ड हिन्दू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 19 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. मध्यप्रदेश में निवेश और सरलता से व्यापार-व्यवसाय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निवेशकों की हर संभव मदद करने को तत्पर है.

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश करने के इच्छुक हर निवेशक के लिए हमारी सरकार हर घड़ी उनके साथ खड़ी है. निवेशकों की जरूरतों से हम वाकिफ हैं, इसीलिए जैसी जरूरत, हमारी सरकार निवेशकों की वैसी मदद करेगी. हम सब मिल जुलकर मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे. देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनायेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस-2025 को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर में 25 दिसंबर को भारतरत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में शामिल होने के लिए ग्वालियर आमंत्रित करते हुए कहा कि यह आयोजन उद्योग एवं रोजगार वर्ष के सफल समापन का साक्षी बनेगा.

कागजों तक सीमित नहीं रखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक है. हमने ईज ऑफ डूइंग को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर उतारते हुए उसे स्पीड स्केल और स्किल ऑफ डूइंग में परिवर्तित कर दिया. उन्होंने कहा कि हमने 18 नई औद्योगिक पॉलिसी लॉन्च कीं, जो प्रदेश की ग्रोथ के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो रही हैं. धार जिले में देश के पहले और सबसे ब? पीएम टेक्सटाइल पार्क का भूमि-पूजन किया गया है। यह पार्क फार्म-टू-फाइबर-टू-फैक्ट्री-टू-फैशन-टू-फॉरेन के विजन को साकार करेगा.

जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई

सिरमौर 19 दिसंबर, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा दिनांक 13/ 12/ 25को केंद्र डेजी पब्लिक स्कूल सिरमौर मे बड़े ही शांति पूर्ण ढंग से संपन्न हुई जिसके. जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्र के. निर्देशानुसारसी यल ओ बी आर सी. एवं बी ई ओ सिरमौर के निगरानी मे बड़े ही शांति पूर्ण ढंग से संपन्न की गई.

परीक्षा के तीन दिन बाद संतोष तिवारी जी के द्वारा सोशल मीडिया में आरोप लगाया गया की डेजी पब्लिक स्कूल मे जो केंद्र बनाया गया है वहां पर कुछ बच्चों को नकल करवाई गई है इतना ही नहीं उन्होंने डेजी पब्लिक स्कूल के मैडम के प्रति सीधा सा आप नकल कराई जाने का कक्ष क्रमांक 3 में लगाया गया है जो की आज जांच के उपरांत वीडियो शिवकुमार त्रिपाठी केंद्र में पहुंचकर संतोष कुमार तिवारी को डीजी पब्लिक स्कूल में बुलाया और मीडिया की समक्ष जांच प्रारंभ किया जांच में कक्ष क्रमांक 3 में ड्यूटी कर रहे गीतांजलि द्विवेदी को पंकज सिंह को तलब किया गया एवं दोनों से पूछताछ की गई जो की सोशल मीडिया में चल रही खबर निराधार गलत बताई गई वहीं मीडिया से वीडियो एसके त्रिपाठी रूबरू होते हुए बताएं कि जांच चल रही है परीक्षा के दिनबी आर सी और मै स्वयं उपस्थित थे इसमें कोई भी नकल नहीं कराई गई ना किसी प्रकार का कोई प्रकरण सामने आया फिर भी संतोष तिवारी जी के द्वारा सोशल मीडिया अपना कथन प्रस्तुत करते हुए नकल कराई जाने का आरोप लगाया है जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है श्री त्रिपाठी ने बताया कि कक्ष क्रमांक के 24 बच्चों को बुलाया जाएगा और उसे भी साक्षी लिया जाएगा सही पाई जाने पर उचित कार्रवाई की जावेगी एवं गलत पाए जाने पर आरोपी के प्रति भी कार्रवाई की जा सकती है वहीं केंद्र अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि उन्होंने झूठी शिकायत एवं सोशल मीडिया में चलाया है यह स्वयं कोचिंग संचालक है शिशु मंदिर विद्यालय में शिक्षक हैं में हो सकता है उनके बच्चों का पेपर सही न होने के कारण इन्होंने सीधा सा आप मनगढ़ंत बनाकर भ्रामक जानकारी फैलाए हुए हैं प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और मेरा निवेदन भी है प्रशासन से सही जांच की जाए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए श्री तिवारी जी के द्वारा मेरे केंद्र को बदनाम करने को उद्देश्य जो साजिश बनाई गई है वही विद्यालय के संचालक का भी आरोप है कि मेरे विद्यालय को बदनाम करने के उद्देश्य श्री तिवारी नेंभ्रामक जानकारी फैलाए हुए हैं जांच होने के उपरांत उनके द्वारा जो सोशल मीडिया में एवं मीडिया के समक्ष अपना कथन दिया है और गलत जानकारी चलाएं जिससे मेरे मान सम्मान और मेरे विद्यालय को बदनाम किया गया है तो मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा वही विद्यालय की शिक्षिका गीतांजलि द्विवेदी ने बताया है कि श्री संतोष तिवारी जी की एवं अग्निहोत्री कोचिंग सेंटर की जमीनी विवाद हैं एवं बिरोध हैं जिस कारण से बदलाम करने के उद्देश्य से गलत एवं भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया मेचल वाई जा रही है वही बी ई ओ एस के त्रिपाठी जी द्वारा जाँच की जा रही हैं

एक नजर में

नए इमाम को लेकर दो पक्षों में टकराव-तनाव

जबलपुर. गोहलपुर थाना अंतर्गत अंसार नगर चोपड़ा स्थित नमाजगाह के नए इमाम को लेकर शुक्रवार को जुमे की नजाम के बाद टकराव हो गया. तनाव के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने मस्जिद को सील कर दिया. मामले को लेकर गहमा-गहमी का माहौल निर्मित हो गया था. अंसार नगर चोपड़ा में स्थित नमाजगाह में हजरत मौलवी रियाज आलम मिस्बाही इमाम थे जो लंबे समय से नमाज अदा कराते आ रहे थे लेकिन उनकी तबियत खराब होने के चलते उन्होंने इमाम के पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद मस्जिद कमेटी द्वारा नए इमाम की नियुक्ति हुई.

नियम तोड़ने वाले 13 ऑटो चालकों से 1 लाख 40 हजार जुर्माना, परिवहन विभाग ने दी सख्त चेतावनी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 दिसम्बर। परिवहन विभाग ने आज दिन शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से जप्त पड़े 13 ऑटो चालकों से कुल 1 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। यह सभी ऑटो पूर्व में माड़ा, खुटार और बैढ़न क्षेत्र में नियमों का पालन न करने के कारण जप्त किए गए थे। जिन पर आज जुर्माना लगाने के बाद छोड़ दिया गया।

परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि विभागीय जांच में पाया गया कि कई वाहन बिना परमिट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा के संचालित किए जा रहे थे। इन्हें पूर्व में पकड़कर आरटीओ परिसर में खड़ा कराया गया था। जुर्माना राशि जमा करने के बाद शुक्रवार को सभी ऑटो चालकों को उनके वाहन लौटा दिए गए। अधिकारी ने बताया कि विभाग लगातार अभियान चला रहा है, ताकि सड़क पर चलने वाले सभी वाहन परिवहन नियमों का पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे अगर कोई वाहन चालक बिना जरूरी दस्तावेज और नियमों के गाड़ी चलाते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी अपील की है कि सभी वाहन स्वामी समय-समय पर अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र नवीनीकृत करवाते रहें। इससे सड़क दुर्घटनाओं और कानूनी कार्यवाही से बचा जा सकता है। इस कार्रवाई से परिवहन विभाग की सख्ती का संदेश क्षेत्र भर के वाहन चालकों तक पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा, ताकि बिना मानक वाले वाहनों को सड़कों से हटाया जा सके।

धान परिवहन में बाधा पर कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई, सात उपार्जन केंद्र प्रभारियों पर अर्थदण्ड

सीधी 19 दिसंबर, उप आयुक्त सहकारिता द्वारा आदेश जारी कर कलेक्टर के निर्देशानुसार खरीफ उपार्जन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान उपार्जन परिवहन कार्य में लापरवाही बरतने वाले ऐसे उपार्जन केंद्र, जहां परिवहनकर्ता द्वारा भेजे गए ट्रकों को समय पर लोडिंग नहीं कराई गई तथा शासकीय कार्य की उपेक्षा करते हुए परिवहन में आवश्यक सहयोग नहीं दिया गया, उनके उपार्जन केंद्र प्रभारियों पर एक हजार रूपये प्रति उपार्जन केंद्र की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अर्थदण्ड से दंडित उपार्जन केंद्रों में धान उपार्जन केंद्र अमिलिया क-01, अमिलिया क-02, सहजी, ब?खरा, पोंडी, लको?ा एवं गिजवार शामिल हैं। उप आयुक्त सहकारिता द्वारा बताया गया कि जिला उपार्जन समिति जिला सीधी की समीक्षा बैठक दिनांक 19 दिसंबर 2025 में परिवहनकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनेक उपार्जन समितियों में पर्याप्त लेबर उपलब्ध नहीं है तथा बिना सिलाई किए ही धान को रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इस गंभीर लापरवाही पर कलेक्टर द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित समितियों के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने एवं अर्थदण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए।उप आयुक्त सहकारिता ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्तानुसार संबंधित उपार्जन केंद्र प्रभारी अर्थदण्ड की राशि अनिवार्य रूप से कार्यालय कलेक्टर (खाद्य), जिला सीधी के माध्यम से कोषालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उपखण्ड अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण

प्राथमिक विद्यालय खटखरिया में पदस्थ शिक्षक विवेक दाहिया के अनुपस्थित मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए गए निर्देश

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 दिसम्बर। उपखण्ड अधिकारी सुरेश जाधव के द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय डिग्घी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कक्षायें संचालित मिली, विद्यालय में 2 शिक्षक पदस्थ थे।

एक शिक्षिका मौके पर कक्षा में शिक्षण कार्य कराते पायी गई, किन्तू दूसरे शिक्षक सुरेन्द्र कुमार चौबे को वर्ष 2022 से अन्य कार्यालय में संलग्न होने की जानकारी अध्यापिका द्वारा दी गई। छात्र-छात्राओं के सीखने का स्तर कमजोर पाया गया, इसके लिए शिक्षिका ने कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 शिक्षक के होने से अध्यापन कार्य प्रभावित होने के संबंध में अवगत कराया। वही शासकीय प्राथमिक विद्यालय खटखरिया का औचक निरीक्षण लगभग अपरान्ह 3 बजे किया गया। विद्यालय में 65 छात्र-छात्रायें उपस्थित मिले, विद्यालय में 5 शिक्षक पदस्थ हैं। जिनमें से 4 शिक्षक विद्यालय में उपस्थित मिले, शिक्षक विवेक दाहिया हस्ताक्षर करने के उपरांत विद्यालय से नदारद पाये गये। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया।

एनसीएल अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में रोमांच चरम पर, टीमें दिखा रहीं दमखम

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 दिसम्बर। एनसीएल की दुद्धिचुआ परियोजना में अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट के आधार पर 22 दिसम्बर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें एनसीएल की सभी परियोजना एवं इकाइयों से कुल 12 टीम भाग ले रही हैं।

प्रतियोगिता के दूसरे दिन खड़िया क्षेत्र और जयंत क्षेत्र के बीच हुए कड़े मुकाबले में खड़िया क्षेत्र ने जीत दर्ज की। वहीं बीना परियोजना और सीडब्ल्यूएस के बीच खेले गए मैच में बीना परियोजना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीडबल्यूएस को पराजित किया। अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2025-26 के तीसरे दिन दुद्धिचुआ क्षेत्र और कृष्णशिला के बीच खेले गए मैच में दुद्धिचुआ क्षेत्र विजेता रहा। इसके अलावा मुख्यालय और ककरी क्षेत्र के बीच मैच में मुख्यालय टीम ने बाजी मारी। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के चौथे दिन अमलोरी क्षेत्र और खड़िया क्षेत्र के बीच हुए मुकाबले में अमलोरी ने जीत हासिल कर अगले चरण में प्रवेश किया। वहीं निगाही और सीडबल्यूएस क्षेत्र के बीच हुए मैच में निगाही क्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की। शुक्रवार को ब्लॉक-बी और दुद्धिचुआ के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में ब्लॉक-बी क्षेत्र ने जीत हासिल की। साथ ही मुख्यालय और झिंगुरदा क्षेत्र के मैच में मुख्यालय टीम विजेता रही।

अधिकारियों ने प्रयागराज कुंभ के अनुभव किए साझा

उज्जैन. आगामी 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व में बिजली व्यवस्था को लेकर उत्तरप्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा कर मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को आवश्यक सुझाव दिए. गत दिवस यहां आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से आए वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान विद्युत आपूर्ति के लिए वहां की पूर्व की तैयारी, एग्जीक्यूशन तथा मेले के दौरान अपने अनुभव साझा कर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया.

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / 5308/ राजस्व/ न.पा.नि./ 2025 — रीवा, दिनांक 18/12/2025

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति के नामांतरण के आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उवत संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के अवधि में इस कार्यालय के नामांतरण शाखा में प्रमाणित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समय अवधि पश्चात् कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जावेगी। तत्पश्चात् नामांतरण की विधिवत् कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	प्रकरण क्रमांक	वार्ड /भवन क्रमांक (भवन की स्थिति)	इन्द्राजी का नाम	नामांतरण ग्रहिता	नामांतरण का आधार
1	535	13/906 नेहरू नगर, जिला रीवा (म0प्र0)	श्री वैदेही प्रसाद द्विवेदी पिता श्री जमुना प्रसाद द्विवेदी	श्रीमती राजेन्द्री तिवारी पिता श्री वैदेही प्रसाद द्विवेदी पति श्री आशुतोष तिवारी	बटवारा नामांतरण
2	536	27/41 व्यंकट बटालियन, जिला-रीवा (म0प्र0)	श्रीमती रचनालिका सिंह पति श्री दुष्यंत सिंह	श्री दुष्यंत सिंह पिता श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	धारणाधिकार के तहत नजूल भूमि / भवन का पटट्
3	538	07/486 बोदाबाग, जिला रीवा (म0प्र0)	श्रीमती खुर्शीदा बेगम पति स्व0 श्री हाफिज खॉन	श्रीमती सविता कुशवाहा पति श्री रामलाल कुशवाहा	क्रय-विक्रय

उपायुक्त (राजस्व)
हेतु आयुक्त
नगर पालिक निगम रीवा, (म.प्र.)

Notice Regarding Correction of Date of Birth

It is hereby informed that I, Army No. 17023288W, Craftsman Jeevesh Kumar Patel, son of Shri Ramlal Patel, am serving in the EME Corps.Due to an inadvertent error, my father's date of birth has been incorrectly recorded as 05/02/1958 in my Army records.However, as per Aadhaar Card and all other valid documents, my father's correct date of birth is 01/01/1963.Therefore, it is humbly requested to all concerned departments/authorities and institutions to kindly read and treat the correct date of birth of my father Shri Ramlal Patel as 01/01/1963 only.

Informant:Craftsman Jeevesh Kumar PatelArmy No.: 17023288WE.M.E Core

कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग शुरू

विशेष संवाददाता

भोपाल,19 दिसंबर. उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पोस्टग्रेजुएट नर्सिंग पाठ्यक्रमों पोस्ट बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है.

यह काउंसलिंग 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिससे प्रदेश के हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है.

यह निर्णय एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार द्वारा दायर याचिका के बाद लिया गया है, जिसमें नर्सिंग शिक्षा में लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाहियों को उजागर किया गया था. रवि परमार ने कहा कि नर्सिंग घोटाले के बाद से मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा का स्तर लगातार गिरा है और पिछले तीन वर्षों से लगभग 75 प्रतिशत सीटें खाली पड़ी हैं.

उज्जैन में एनडीपीएस एक्ट के तहत 71 प्रकरण दर्ज

उज्जैन , 19 दिसंबर. जिले में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत इस वर्ष विभिन्न थानों में कुल 71 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में एनकार्ड (नार्को को-ऑर्डिनेशन समिति) की मासिक बैठक आयोजित की गई.

कार्यालय नगर पालिका परिषद सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)

एन.आई.टी. क्रमांक 5386/ई टेंडरिग/न.पा./2025 — सीधी, दिनांक 17/12/2025

निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2025_UAD_469290 _1 दिनांक 18.12.2025	मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत निकाय क्षेत्रांतर्गत 04 नग स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्य।	(1) 4 माह (2) 16.93 लाख	(1) 2000.00 (2) 12699.00	01.01.2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सीधी

Presiding Officer : श्री उद्याजीत कुंवर राव
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCSA/0000193/2023)

संतोष कुमार तिवारी ....वादी
Vs
श्रीमान मंडल प्रबंधक महोदय इंडसइंड बैंक ..... प्रतिवादी

Process No-779 Process Id-/2025
पेशी दिनांक :-23.01.2026

प्रेषिती- 1. ईश्वर मोटर एथराइज्ड डीजर अतुल आटो लिमिटेड पता-गुप्ता आटा चक्की के पास सतना रोड मैहर हाल निवास ताज आटो ई-रिक्सा डीलरशिप मिसिंग चैक कटनी जिला कटनी म.प्र.

यह कि प्रार्थी संतोष कुमार तिवारी ने आपके विरूद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता1908 के लिये वाद संस्थित किया है .आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें . आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें . आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा . साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 09 दिसंबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है .

न्यायालय की मुद्रा

(उद्याजीत कुंवर राव)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
मैहर जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें :- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

नोटिस

आरा मशीन के नामांतरण स्थानांतरण के संबंध में

मैं राजेश सिंह पिता श्री कृष्ण प्रताप सिंह निवासी ग्राम बेलहा पोस्ट खर्रा थाना तहसील नईगढ़ी, जिला मऊगंज (म.प्र.) अपने स्वामित्व की आरा मशीन को श्रीमती पूजा सिंह पति दुर्गा सुमन सिंह निवासी ग्राम बेलहा पोस्ट खर्रा, थाना तहसील नईगढ़ी, जिला मऊगंज म.प्र. को विक्रय कर चुका हूं तथा प्रतिफल राशि प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है एवं मैं नामांतरण/स्थानांतरण हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूं एवं मैं श्रीमती पूजा सिंह पति दुर्गा सुमन सिंह निवासी ग्राम बेलहा, पोस्ट खर्रा थाना नईगढ़ी, जिला मऊगंज म.प्र. उपरोक्त आरा मशीन की क्रेता हूं। मैं उपरोक्त आरा मशीन को मेरे स्वामित्व भूमि खसरा नंबर 2378/4 रकवा 0.0970 हेक्टेयर ग्राम नईगढ़ी तहसील नईगढ़ी जिला मऊगंज वन मंडल मऊगंज रीवा म.प्र. पर स्थापित करना चाहती हूं। अतः हम दोनों पक्ष के बारिशान को सूचित किया जाता है कि 15 दिवस के अंदर वन मंडल कार्यालय जिला मऊगंज एवं वन मंडल कार्यालय मऊगंज रीवा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अतः हम दोनों संयुक्त रूप से निवेदन करते है कि उपरोक्त आरा मशीन का नामांतरण/स्थानांतरण विक्रेता राजेश सिंह पिता श्री कृष्ण प्रताप सिंह क्रेता श्रीमती पूजा सिंह पति दुर्गा सुमन सिंह के नाम पर नामांतरण/स्थानांतरण करने की कार्यवाही की जाय।

Notice Regarding Correction of Date of Birth

It is hereby informed that I, Army No. 17023288W, Craftsman Jeevesh Kumar Patel, son of Shri Ramlal Patel, am serving in the EME Corps.Due to an inadvertent error, my mother's date of birth has been incorrectly recorded as 03/02/1952 in my Army records.However, as per the Aadhaar Card and other valid documents, my mother's correct date of birth is 01/01/1968.Therefore, it is humbly requested to all concerned departments/authorities and institutions to kindly read and treat the correct date of birth of my mother Smt. Manua Patel as 01/01/1968 only.

Informant:Craftsman Jeevesh Kumar PatelArmy No.: 17023288WEME Core

कार्यालय उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल देवसर, वनमण्डल सिंगरौली (म.प्र.)
कार्यालय ब्लॉक ऑफिस के पास फोन नं:- 9424793528
E-Mail- sdoftdeoser@mp.gov.in

क्रमांकः-1097 — देवसर, दिनांक /18.12.25

प्रेस विज्ञप्ति

श्री दिनेश कोल सहायक ग्रेड-3 (निलंबित), पिता श्री छोटेलाल कोल पता ग्राम व पोस्ट माड़ौ, तहसील सिरमौर, जिला-रीवा (म.प्र.)

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि वनमण्डल अधिकारी सिंगरौली के पत्र क्रमांक/ स्था./276 सिंगरौली, दिनांक 14.01.2025 से उपवनमण्डल अधिकारी देवसर, वनमण्डल सिंगरौली को आपके विभागीय जांच के लिए जांचकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया है। उपरोक्त पत्र के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 51 दिनांक 28.01.2025 से 05.02.2025 को, पत्र क्रमांक 83 दिनांक 10.02.2025 से 22.02.2025 को, पत्र क्रमांक 194 दिनांक 03.03.2025 से 28.03.2025 को, पत्र क्रमांक 279 दिनांक 30.03.2025 से 15.04.2025 को, पत्र क्रमांक/597 दिनांक 01.07.2025 से 15.07.2025 को उपस्थित होने बावत् आपकी वर्तमान पदस्थिति वन परिक्षेत्र कर्थुआ के वन परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से लेख किया गया था, उक्त अनेक पत्र लिखे जाने के बाद भी आप आज दिनांक तक आपने विभागीय जांच हेतु लिखित रुप में प्रतिवेदन अथवा कार्यालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किए है, न ही आप आज तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष विभागीय जांच हेतु उपस्थित हुये हैं। अत: नव स्वदेश दैनिक अखबार के विविध पृष्ठ क्रमांक 07 सतना बुधवार दिनांक 08.10.2025 से एवं दैनिक भास्कर अखबार सिंगरौली में जारी विज्ञप्ति दिनांक 02.12.2025 से आपको 15-15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, किन्तु आप आज दिवस तक अधोहस्तारकर्ता के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अत: इस विज्ञप्ति के माध्यम से पुन: आपको सूचित किया जाता है कि आप विज्ञप्ति जारी होने के 10 दिवस के अन्दर अधोहस्तारक्षर कर्ता के कार्यालय में उपस्थिति होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें / बयान लेख करायें यह अंतिम अवसर है, उक्त अवधि पश्चात् आपका कोई भी प्रतिवेदन मान्य न करते हुए वरिष्ठ कार्यालय को एक पक्षीय कार्यवाही हेतु लेख किया जावेगा। जिस हेतु आप स्वयं जबावदार होंगे।

जांचकर्त्ता अधिकारी एवं
उपवनमण्डलाधिकारी देवसर

म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0लिमि0, सिंगरौली

विद्युत् प्रद्योति

समाधान योजना 2025-26

सभी घरेलू,गैर घरेलू औद्योगिक एवं कृषि श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु समाधान योजना 2025 - 26 लागू की जा रही है ।

पात्र श्रेणिया :-
(शासकीय उपभोक्ताओं को छोड़कर) :-
(i) एल.वी.- 1 (घरेलु- स्थाई एवं आस्थाई संयोजन) (ii) एल. वी - 2 (गैर-घरेलू)
(iii) एल.वी.-4 (LT औद्योगिक) (iv) एल.वी.- 5 (कृषि)
(v) एच. वी. - 3 - 4 (HT औद्योगिक) (vi) एच. वी - 5 (केवल कृषि)

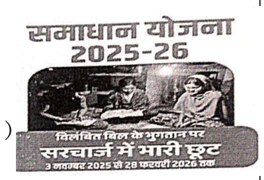

पात्र उपभोक्ता:-
(i) 3 माह या उससे अधिक अवधि की बकाया राशि वाले, उपरोक्त श्रेणियों के समस्त संयोजित एवं अस्थायी स्थाई रूप से विच्छेदित बकायादार उपभोक्ता ।
(ii) औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये इस समाधान योजना 2025-26 अथवा वर्तमान में लागू उद्योग मित्र योजना, दोनों में से किसी एक योजना का लाभलेने का ही विकल्प होगा ।

योजना की अवधि:-
(i) यह योजना दिनांक 01 नवंबर 2025 से दिनांक 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी ।

छूट का विवरण :-उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराने की तिथि तक बिल में बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार पर छूट तथा छूट पश्चात् शेष बकाया राशि का भुगतान करने के विकल्पों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	पंजीकरण पश्चात भुगतान का बिकल्प	अधिभार में छूट (प्रतिशत में)	
			प्रथम चरण	द्वितीय चरणद्व
1	i LV-1 (घरेलू- स्थाई एवं अस्थाई संयोजन), ii LV-5 (कृषि),iii HV-5 (केवल कृषि),	एक मुश्त भुगतान	100 प्रतिशत	90 प्रतिशत
		किश्तों में भुगतान (06 मासिक किश्त)	70 प्रतिशत	60 प्रतिशत
2	i LV-2 (गैर-घरेलू), ii LV-4 (LT औद्योगिक), iii HV-3&4 (HT औद्योगिक)	एक मुश्त भुगतान	80 प्रतिशत	70 प्रतिशत
		किश्तों में भुगतान (06 मासिक किश्त)	60 प्रतिशत	50 प्रतिशत

अधीक्षण अभियंता (संचा.-संधा.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.,सिंगरौली